Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Service Appeal Case No.- 60 /2024]

Alok Nath Jha & Ors. .....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.06.2025	**आदेश** यह सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1932/पंचा. दिनांक- 06.11.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या- 4632/2025 में दिनांक 27.03.2025 को पारित आदेश से आच्छादित है। अपीलार्थी तथा विपक्षी की ओर से लिखित बहस दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-30.05.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस Service Appeal Case का Issue in question यह है कि नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वैसे ग्राम कचहरियों में नियोजित न्यायमित्रों को अन्य विभाग अथवा अन्य ग्राम कचहरी में समायोजन करने का नियम है अथवा नहीं। Petitioners का Case यह है कि सहरसा जिला अन्तर्गत विभिन्न ग्राम कचहरी में न्याय मित्र के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित थे तथा यह कि संबंधित ग्राम कचहरी क्षेत्र को नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की विभागीय अधिसूचना होने के उपरांत जिला पंचायती राज पदाधिकारी के ज्ञापांक-25-1, दिनांक-22.04.2022, ज्ञापांक-27-1, दिनांक-23.04.2022 एवं ज्ञापांक-28-1, दिनांक-25.04.2022 के द्वारा अन्य ग्राम कचहरी में समायोजन किया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक-1932/पंचा. दिनांक-06.11.2023 द्वारा इनका नियोजन समाप्त करने का आदेश दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। अतः जिला पदाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा के प्रासंगिक आदेश को बहाल किया जाय। विपक्षी जिला पदाधिकारी, सहरसा की ओर से जवाब/लिखित बहस दाखिल है। विपक्षी के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग के पत्रांक-5160, दिनांक-07.06.2022 की कंडिका 2(iii) के अनुसार सभी न्यायमित्र का तत्काल प्रभाव से नियोजन रद्द करने का अपना आदेश ज्ञापांक-1932/पंचा0, दिनांक-06.11.2023 निर्गत किया गया। उनका यह भी कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संदर्भित पत्रांक-1003, दिनांक- 22.01.2021 में ग्राम कचहरी के नगर निकाय क्षेत्र में अधिसूचित होने की स्थिति में अन्य ग्राम कचहरी में समायोजन का कोई नियम अंकित नहीं है।	

13. 06.2025

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख, वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि वादीगण सहरसा जिला अंतर्गत विभिन्न ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर नियोजित थे। संबंधित ग्राम कचहरी क्षेत्र को नगर निकाय क्षेत्र के तहत अधिसूचित किये जाने के कारण संबंधित ग्राम कचहरी का अस्तित्व समाप्त हो गया। जिला पदाधिकारी सहरसा का अपीलाधीन आदेश पंचायती राज विभाग के पत्रांक-5160, दिनांक-07.06.2022 के कंडिका 2(iii) के आलोक में निर्गत किया गया है। उक्त प्रावधान में में अंकित है कि ''नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, वैसे ग्राम कचहरियों में नियोजित न्यायमित्रों की कार्यावधि समाप्त समझी जाएगी।"

सुनवाई में Petitioner की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1003, दिनांक- 22.01.2021 के कंडिका 2(II)(vii) के परन्तुक (क) को संदर्भित करते हुए अपना पक्ष रखा गया है। उक्त प्रावधान में यह अंकित है कि "यदि संविदा पद/पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की आवश्यकता उस विभाग में, जहां वे कार्यरत हैं, नहीं हो लेकिन अन्य विभाग में उसी पदनाम एवं उसी योग्यता के पद रिक्त हों एवं उन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आवश्यक हो, तब उन पद/पदों पर नया संविदा नियोजन नहीं कर अन्य विभाग में समान पदनाम एवं योग्यता वाले पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों, जिनकी अब उस विभाग में आवश्यकता नहीं रह गयी हो, की नियुक्ति अन्य विभाग में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित विभाग के साथ नये सिरे से एकरारनामा करना होगा। परन्तु यह सुविधा वैसे संविदा कर्मियों को अनुमान्य नहीं होगी जो अनुशासनिक कारण से हटाये गये हों।" सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त प्रावधान सरकारी विभाग में संविदा नियोजित कर्मी के संबंध में निर्गत है। जबकि प्रस्तुत मामला ग्राम कचहरी में नियोजित न्यायमित्र से संबंधित है। ग्राम कचहरी का अस्तित्व समाप्त होने के उपरांत नियोजन समाप्त करने का प्रावधान स्पष्ट रूप से पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5160, दिनांक-07.06.2022 के कंडिका 2(iii) में अंकित है। सुनवाई में Petitioners की ओर से अपने पुर्ननियोजन/समायोजन के दावे के संदर्भ में कोई संगत प्रावधान अथवा Admissible साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

जिला पदाधिकारी, सहरसा का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेंजे। LCR जिला पदाधिकारी, सहरसा का वापस भेजें।

Raje K.
13/6/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Raje K.
13/6/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा